

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी कमिता विपक्षी देवीलाल  
 किस्म मुकदमा 188 P.P. पत्रावली संख्या 151/23 सन \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

क्रमांक

25/6/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 के क्रम में दिनांक 29/7/25 को पेश हो।  
 D/O  
 2

29/07/25  
 पत्रावली पेश हुई। (अधिवक्ता वादीगण मय  
 स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय  
 स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।  
 समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। पत्रावली के  
 अवलोकन से ~~अधिवक्ता~~ पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य वादी  
 में सम्बन्धित है। वादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु  
 पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं  
 किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि  
 वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं  
 मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज  
 भी स्वयं वादीगण एवं इनके (अधिवक्ता) अनुपस्थित  
 हैं। अतः! (अधिवक्ता) वादीगण मय स्वयं वादीगण  
 अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी  
 अदम फैसले में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम ले।  
 निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
 (SDO) मावली

